



2025:AHC:5577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 199 सन् 2026

मोहम्मद शाहवेज

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी। धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने कथनों में पीड़िता ने बलात्कार के कथन को पुनः दोहराया है। अभियोजन कथन के अनुसार पीड़िता लगभग 22 वर्ष आयु की विवाहित महिला है। कथित घटना दिनांक 11/12.05.2025 को हुई, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 को दर्ज की गई तथा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण तत्परता से अगले दिन अर्थात् 15.05.2025 को कराया गया, किन्तु उसके चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई नवीन आंतरिक अथवा बाह्य चोट नहीं पाई गई तथा उसका हाइमन पुराना, फटा हुआ एवं भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य उसके साथ किए गए कथित बलपूर्वक बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं करता। अतः यह तर्क दिया गया है कि यह मिथ्या फँसाए जाने का मामला है तथा आवेदक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गलत उद्देश्य एवं दुर्भावनापूर्ण आशय से झूठे एवं निराधार आरोपों में फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा और न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 16.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की उदारता का अधिकारी नहीं है।

4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः आवेदक-मोहम्मद शाहवेज, को मुकदमा अपराध संख्या 283 सन् 2025, अंतर्गत धाराएँ 115(2), 351(3), 333, 64(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना- देवबंद, जनपद- सहारनपुर में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
- (iii) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का संदेह है।



(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत कर सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सके।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 8, 2026

मुस्तकीम